न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2020 (उदयपुर डिक्री)

ख्यालीलाल पिता भंवरलाल जी सोनी, निवासी 28—बी, हरीदास जी की मगरी, उदयपुर

.... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार, मावली, जिलाउदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम—1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्रीउपखण्डअधिकारी,मावली दिनांक 17—12—2019 प्रकरणसंख्या64/2015

———::———

उपस्थित :— 1—श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

2—श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक27—06—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा नान्दवेल में आराजी नंबर 1310 रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1311 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी ख्यालीलाल पिता भंवरलाल सोनी के नाम दर्ज है, जिसने बिना सक्षम स्वीकृति के उक्त भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकानों का निर्माण किया गया है, जो कानूनन अवैध है। उक्त निर्माण कार्य से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये, किन्तु प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर वाद डिक्री किया तथा विवादित भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज करने एवं व्यवसायिक दुकानों को कब्जे राज लेने का [illegible] दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालयके उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक17–12–2019 सेरूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–01–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकरअभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया किजो निर्णय तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण संख्या 4/2014 में पारित किया गया था, उसे जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दिनांक 05–01–2018 को निरस्त कर दिया गया तो कैसे धारा 177 के तहत प्रकरण सहायक कलक्टर मावली में विचाराधीन हो सकता है और धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही पोषणीय हो सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर जिला कलक्टर के निर्णय को प्रस्तुत नहीं कर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कभी कोई सूचना नहीं दी गयी तथा अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को राज्यसात करने का आदेश दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा बिना स्वीकृति के 18 दुकानों का निर्माण करवाया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित दुकानों को राज्यसात करने का जो आदेश दिया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की बहस का जवाबुल जवाब देते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि जिला कलक्टर ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28–01–2015 को अपास्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया, जिसका कोई नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिया गया एवं उसे बिना सुने निर्णय पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

हमनेउभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दायर वाद अन्तर्गत धारा 177 रा.टी.एक्ट के निर्णय की अपील प्रस्तुत की है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के खातेदारी की मौजा नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल की आराजी नंबर 1310 रकबा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा में से 3 बिस्वा 8 बिस्वांसी एवं आराजी नंबर 1311 रकबा 10 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमिबिलानाम गैर काबिज काश्त दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा 90 ए का प्रकरण दर्ज कर दिनांक 28–01–2015 को निर्णय पारित कर 90,000/– रूपया जुर्माना आरोपित किया गया तथा अन्तर्गत धारा 177 रा.टी.एक्ट में प्रकरण दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया। उक्त वाद में अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली द्वारा दिनांक 17–12–2019 को निर्णय कर डिक्री किया गया। अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह है कि तहसीलदारमावली न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 04/2014 में दिनांक 28–01–2015 को पारित निर्णय की अपील जिला कलक्टर उदयपुर में की गयी, जिसके क्रमांक 25/2016 है। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 05–01–2018 को पारित किया गया जिसमें न्यायालय तहसीलदार मावली का निर्णय दिनांक 28–01–2015 को अपास्त कर प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया। उक्त निर्णय की जानकारी होने के बावजूद तहसीलदार मावली द्वारा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मावली के यहां अन्तर्गत धारा 177 रा.टी.एक्ट में प्रकरण संख्या 64/2015 दर्ज करवाना अपने आप में इन्फ्रक्यूअस हो गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मावली का निर्णय कानून के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा दिनांक 28–01–2015 को पारित निर्णय में 90,000/– जुर्माना तथा धारा 177 रा.टी.एक्ट के तहत विपक्षी की खातेदारी निरस्त करवाने हेतु प्रकरण तैयार करवाने का निर्णय लिया। अतः निर्णय के अनुरूप तहसीलदार मावली द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर मावली के यहां उक्त वादग्रस्त आराजियात के संबंध में एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 रा.टी. एक्ट में दर्ज करवाया। इसमें कोई अनियमितता होना जाहिर नहीं होता है। अपीलान्ट का यह कथन कि तहसीलदार द्वारा जुर्माना राशि जमा कराने के तथ्यों को छुपाया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर मावली में अन्तर्गत धारा 177 रा.टी.एक्ट 1955 में दायर वाद में इस तथ्य का कोई महत्व नहीं था कि जुर्माना जमाकर लिया गया। जुर्माना जमा कराने का आदेश न्यायालय तहसीलदार मावली का था जिसकी पालना में जुर्माना जमा किया गया। इसमें तथ्य छुपाने जैसी कोई बात प्रतीत नहीं होती है और न ही प्रकरण इन्फ्रक्यूअस हो जाता है, क्योंकि न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में प्रकरण संख्या 25/2016 अपील (राजस्व) प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 05–01–2018 को पारित किया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मावली में दावा दिनांक 15–04–2015 को प्रस्तुत किया गया और सुनवाई पश्चात् दिनांक 19–12–2019 को निर्णय पारित किया गया। यहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

यह देखने योग्य है कि तहसीलदार मावली द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के निर्णय दिनांक 05–01–2018 से पूर्व ही 15–04–2015 को वाद अन्तर्गत धारा 177 रा. टी.एक्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अतः जिला कलक्टर के निर्णय से यह वाद इन्फ्रेक्युअस नहीं हो जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन प्रोसेस किये हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली,जिला उदयपुर व प्रकरण संख्या 64/2015 वाद निर्णय दिनांक 17–12–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। वाद का मुख्य विषय प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा बिना अनुमति के मौजा नान्दवेल के आराजी नंबर 1310 रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1311 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी भूमि में अवैध रूप से वाणिज्यिक दुकानों का निर्माण करने से राजस्व हानि होने से संबंधित है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा वाद में अन्तर्गत धारा 177 रा.टी.एक्ट में प्रतिवादी/अपीलान्ट की खातेदारी निरस्त करवाने का निवेदन किया गया है, जबकि अपील मेमों की कलम संख्या 2 में न्यायालय तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 4/2014 में दिनांक 28–01–2015 को पारित निर्णय एवं न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में दायर प्रकरण में पारित निर्णय को अपील का आधार बनाया गया है। इसी प्रकार कलम संख्या 3, 4 में भी उक्त प्रकरणों का हवाला दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि अपील वाद पत्र के मुख्य बिन्दुओं पर आधारित नहीं होकर अन्य तथ्यों पर आधारित है। इसलिए अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पूर्वोक्त प्रकरण के निर्णय की पालना यदि तहसीलदार द्वारा नहीं की जा रही है तो न्यायालय की अवमानना इत्यादि विधिक उपचार अपीलान्ट के पास उपलब्ध है। न्यायालय तहसीलदार एवं न्यायालय जिला कलक्टर के प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा प्रकरण संख्या 64/2015 में पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है, जिससे अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2019यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 27–06–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.** .....

ख्यालीलाल पिता भंवरलाल सोनी, निवासी बनाम**राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार**
28–बी, हरीदास जी की मगरी, उदयपुर मावली, जिला उदयपुर

अपील नं.....**7 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**12**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....सन् **2023** रूबरू.....
व हाजरी.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कमलेश चौहान**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2019 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....**2023**
को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested